FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण:—

मांगीलाल पुत्र स्व धनाजी जाति माली सा0 सोजत सिटी वगैरह

बनाम

अप्रार्थीगण

1. हीरालाल पुत्र खीवराज उर्फ खीवाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत सिटी वगैरह

किस्म मुकद्दमा— राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आ0टी0एक्ट0 1955 नबर. 33..सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ।
17/08/20	वकील प्रार्थीगण उपस्थित वकील प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है । राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 25/08/20 को पेश हो।	368 17/8/20
25/08/20	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित उप खण्ड अधिकारी सोजत सोजत (जिला-पाली) राज अप्रार्थीगण संख्या 01,03 से 10, 15 व 18 की ओर अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात पेश किये, सा.मि. किये गये। अप्रार्थी संख्या 2,11,14 तथा 19 को बावजूद तामिलि/सूचना बार—बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहे है। बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकुलाय सुनी गई व समायत की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कि तहत इस आश्य का पेश किया कि प्रार्थी गण ने मूल वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में पेश किया है। प्रार्थीगण की पैतृक व संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा सोजत द्वितीय तहसील सोजत में खसरा नम्बर 3254 रकबा 0.6400 हैक्टर किस्म मेहन्दी स्थित है। उक्त भूमि के रिवाइज्ड सेटलमेन्ट के पुराने खसरा नम्बर 781 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा विवाद ग्रस्त भूमि थी। उक्त वाद ग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता धना पुत्र लछा का 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त का दर्ज है तथा 1/2 हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 से 14 के पूर्वज हंसा पुत्र उमा की अविभाजित संयुक्त खातेदारी का चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता घना पुत्र लछा निवर्सीयती फौत हो जाने से वादग्रस्त कृषि भूमि कानूनन उनके वरिसान प्रार्थीगण में न्यायगत हुई। मूल पुरूष धना पुत्र लछा की वंशावली अनुसार सेणकी पत्नि (फौत), मिठुडी पुत्री मांगीलाल व सोहनलाल पुत्रान हुये। हंसा के पुत्र खीवराज द्वारा आपसी मिलावट से दिनांक 12.02.1965 को कथित फर्जी व अवैध बेचाननामा 99 रूपये पर उसके पक्ष में खसरा नम्बर 781 रकबा 4 बीघा 4 बीस्वा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 16.03.1965 स्वीकृत करवाया। उक्त सम्पूर्ण विवादित भूमि गलत रूप से त्रूटि पूर्ण दर्ज हुई, क्योकि धना पुत्र लछा ने 1/2 हिस्से का बेचान नही किया। नामान्तरकरण 188 की पुश्त पर बेचान व कब्जे का गलत इन्द्राज कर दिया। प्राथी के पिता धना पुत्र लछा का नाम त्रूटि पूर्ण हटाया गया जो उनके हक अधिकारों के विरूद्ध प्रारम्भ से ही अवैध, शुन्य व बेअसर है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 188 की अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला,	

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

पाली में की गई जिसमें अपील संख्या 50/2001 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2004 द्वारा उक्त नामान्तरकरण को खारिज कर दिया गया। फलस्वरूप प्रार्थीगण के पिता धना पुत्र लछा व हंसा पुत्र उमा का नाम वापस दर्ज हुआ। उक्त आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधुपर मे किये जाने पर दिनांक 13.12.2005 को निर्णय पारित कर, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के निर्णय दिनांक 28.01.2004 को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 188 बहाल रखा जिसकी निगरानी संख्या 6028/18 दायर होकर दिनांक 01.10.2019 को पारित आदेश द्वारा निगरानी खारिज की गई तथा मूल वाद संख्या 62/2011 पूनः नम्बर पर लिये जाने एवं अंतिम निर्णय होने पर अमल दरामद के आदेश दिये गये। राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.2019 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस0बी0सी0डब्ल्यु0 संख्या 696/2019 मांगीलाल बनाम राजस्व मण्डल वगैरह विचाराधीन है। राजस्व मण्डल द्वारा परित निर्णय दिनांक 01.10.2019 के पश्चात न्यायालय हाजा में जैरकार वाद संख्या 62/2011 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का0मु0 आदेश 22 नियम 09 को देरीना माना गया। पूर्व जैरकार राजस्व वाद संख्या 135/01 दीपाराम बनाम खीवाराम में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 पर पारित आदेश दिनांक 24.02.2011 को सही मानकर वाद कार्यवाही अबैट कर वाद खारिज किया तथा अपील संख्या 62/2011 में प्रस्तुत प्रार्थना को भी दिनांक 31.12.2019 को खारिज किया तदोपरान्त खीवा उर्फ खीवराज पुत्र हंसा की मृत्यु दिनांक 27.04.2006 को हो जाने पर प्रार्थना पत्र पेश करनेपर बीना पक्षकारान को सुने प्रस्तुत रीट के विचाराधीन रहने के दौरान ही गलत तरीके से नामान्तरकरण संख्या 188 को बहाल करने का आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार गलत तरिके से नामा0 संख्या 188 व 3890 से अप्रार्थी संख्या 1 से 14 को कोई अधिकार सृजित नही होते है तथा प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। प्रार्थीगण के पिता धना 1/2 हिस्से का अपने जीवन काल में कोई बेचान नही करने से प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के कानूनन खातेदार है। नामान्तरकरण संख्या 188, 3890, 3895 विधि विरूद्ध होने से तथा प्रिक्सिल प्रोसेडिंग होने से अप्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त नही होते है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रार्थीगण के 1/2 हक हिस्से की उक्त खातेदारी कृषि भूमि के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से तथा उक्त भूमि का बेचान रहन व अन्य हस्तान्तरण करने से अप्रार्थीगण को रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने हस्ब प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से के विवादग्रस्त भूमि होने से पृथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की ईश्तदुआ की जिसके जबाब बहस अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि से सम्बद्ध राजस्व दावो पदत् निर्णयों के परिपेक्ष्य में की गई अपीलों व रीट याचिकाओं आदी में प्रार्थीगण स्वयं पक्षकार होते हुये भी नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 16.03.1965 को निरस्त करवाने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं स्वयं ने प्रार्थीगण /वारीगण/अपीलार्थी/पक्षकारान के रूप में अपने अधिकारो को तय करवाने के प्रयास विगत लम्बे समय दौरान किये है जबकि प्रार्थीगण को नामान्तरकण संख्या 188 दिनांक 16.03.1965 से संबंधित समस्त तथ्यों का ज्ञान पूर्व से ही रहा है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने फहरिस्त मय दस्तावेजात प्रस्तुत किये सा0मि0 है। प्रस्तुत दस्तावेजात में स्वयं प्रार्थीगण मांगीलाल, व अन्य मिश्रीलाल, भंवरलाल, रामचन्द्र, व मोहनलाल एवं निर्णय दिनांक 12.01.2004 न्यायालय हाजा प्रार्थना पत्र संख्या 92/2001 की छाया प्रतिया पेश की है। शपथ पत्र स्वीकार

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

किया गया है कि उक्त भूमि हंसा की पैतृक भूमि नही थी तथा 99 रूपये में भूमि को सही रूप से विक्रय करना भी स्वीकार किया है। जिसमें स्वयं प्रार्थी मांगीलाल द्वारा अपने शपथ पत्र में उक्त तथ्य को स्वीकार कर रहा है। जिससे तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से हस्ब प्रार्थना पत्र में चाही गई अन्तरिम निषेधाज्ञा खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थन पत्र मय दस्तावेजात अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फहरिस्त मय दस्तावेजात तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया गया। एवं बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 3254 रकबा 0.6400 हैक्टर किस्म मेहन्दी से सम्बद्ध 99 रूपये के बैचान के सम्बद्ध में की गई अपीलों/निगरानियों/एवं रीट याचिका में बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार होते हुये भी प्रार्थीगण ने अपने अर्थात नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 16.03.1965 से संबंधित तथ्यों की जानकारी होते हुये भी लम्बे समय तक अपने हक अधिकारों को विनिश्चत नही करवाये। वर्तमान मे भी रीट याचिका जैरकार होना अंकित किया है। प्रस्तुत शपथ पत्रो से भी अप्रार्थीगण के पिता का कब्जा होना व 99 रूपये का बैचान सही होना स्वयं प्रार्थी मांगीलाल द्वारा स्वीरोक्ति व्यक्त करने से अंतरित अस्थाई निषेघाज्ञा जारी करना प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में कतई सिद्ध नही होता है। जिससे सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर वर्तमान परिपेक्ष्य में अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होती है। लिहाजा अंतरिम अस्थाई निषेघाज्ञा की ईश्तदुआ खारिज की जाती है। अधिवक्ता प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 12, 13, 16, व 17 की पुनः तलबी हेतु तलबाना /पीएफ/नोटिसेज पेश करे, पेश होने पर तत्काल जारी किये जावै। पत्रावली वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र आयन्दा दिनांक 22.10.2020 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

22/10/20 अधिवक्ता प्रार्थी उप०
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 12, 13, 16, व 17 की पुनः तलबी हेतु तलबाना/पीएफ/नोटिसेज पेश करने हेतु एक अवसर चाहते हैं। एक अवसर दिया जाता है पत्रावली आयन्दा दिनांक 5/1/21 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

05/1/21 वकुलाय सुना
अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा मूल वाद में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल वाद को वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से लेकर अदालत की आज्ञा से जरिये विड्रोल आदेश करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर मूल वाद को जरिये विड्रोल आदेश किया जा चुका है।

अतः मूल वाद निस्तारित होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act व/व 39 R 1-2 व/व 151 CPC को खारिज किया जाता है पत्रावली [illegible] से कम हो। बाद तामील जरूरी दाखिल दफ्तर हो। संबंध आदेश जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज